



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ० क्रमांक केसी/टीई/स्था०/प्रशासन-1, II, III व फोर/एए-2/2856 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा श्री विनोद कुमार, सहायक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) रिवाडी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुजापुर में किये गये स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से रद्द किये जाते हैं।

दिनांक 30.9.2015

S.K.GOYAL IAS
महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ०क्र०प्रशा०-1/एए-4/केसी/टीई/144/स्था०/2020

दिनांक: 11/10/15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 निजी सचिव/आईटीएम।
- 2 निजी सहायक/महानिदेशक।
- 3 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), रिवाडी।
- 4 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजापुर।
- 5 मॉडल अधिकारी वेबसाइट को ये आदेश विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।